

प्रेषक,
सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ

दिनांक: 15 दिसम्बर, 2014

विषय—मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत घटित होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिये आवश्यक निर्देश।

महोदय,

मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक है, जिसमें छात्रों को मध्यावकाश में गर्म पका-पकाया भोजन इस उद्देश्य से उपलब्ध कराया जाता है कि छात्र नामांकन में वृद्धि हो सके, छात्रों को स्कूल में पूरे समय रोके रखने के साथ विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति (ड्राप आउट) में कमी लायी जा सके, छात्रों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सके तथा विद्यालय में सभी जाति एवं धर्म के छात्र-छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द, एकता एवं परस्पर भाई-चारे की भावना में वृद्धि की जा सके।

आप अवगत हैं कि मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत बिहार प्रदेश के जनपद सारण में भोजन ग्रहण करने से कतिपय बच्चे बीमार हुये तथा कुछ बच्चों की मृत्यु भी हो गयी। समय-समय पर योजनान्तर्गत इस प्रकार की घटनायें समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आती रहती हैं। अतः इस योजना की महत्ता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि विद्यालय स्तर पर "कन्टिन्जेन्सी प्लान" रजिस्टर तैयार किया जाय, जिसमें इस प्रकार की किसी आकस्मिकता होने पर आवश्यक दूरभाष/मोबाइल नम्बर दर्ज रहे, जिनके माध्यम से तत्काल स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायी जा सकें, यथा—

- जिलाधिकारी-कार्यालय का नम्बर.....मोबाइल नम्बर.....
- उपजिलाधिकारी-कार्यालय का नम्बर.....मोबाइल नम्बर.....
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक-कार्यालय का नम्बर.....मोबाइल नम्बर.....
- मुख्य चिकित्साधिकारी-कार्यालय का नम्बर.....मोबाइल नम्बर.....
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-कार्यालय का नम्बर.....मोबाइल नम्बर.....
- खण्ड विकास अधिकारी-कार्यालय का नम्बर.....मोबाइल नम्बर.....
- खण्ड शिक्षा अधिकारी-मोबाइल नं०-.....विद्यालय से कार्यालय की दूरी.....
- प्रभारी स्वास्थ्य केन्द्र/प्रभारी चिकित्साधिकारी-मोबाइल नं०-.....विद्यालय से दूरी.....


.....

- अग्निशमन अधिकारी..... कार्यालय का नम्बर.....मोबाइल नम्बर.....विद्यालय से दूरी.....
- आकस्मिक स्वास्थ्य सेवायें- 108 एम्बुलैन्स सेवा तथा बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना (BSGY) की गाड़ी के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार तथा स्कूल की दीवार पर उक्त नं० को मेनू के ऊपर लिखा जाय।
- स्थानीय थाने का नम्बर-.....
- विद्यालय के समीप स्थिति ग्राम सभा में निवास करने वाली आशा/ए०एन०एम० का मोबाइल नं०.....
- जिस क्षेत्र में स्कूल अवस्थित है वहां के लेखपाल व ग्राम्य विकास अधिकारी का नम्बर-.....
- ग्राम प्रधान का नम्बर-.....
- विद्यालय प्रबन्ध समिति (एस०एम०सी०) के अध्यक्ष का नम्बर-.....
- ग्राम पंचायत में ऐसे सम्भ्रान्त व्यक्ति का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर जिसके पास अपनी स्वयं की कोई गाड़ी हो तथा उनके आवास की विद्यालय से दूरी।
- गांव के आसपास प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले डाक्टर का नाम व नम्बर, जिसको आकस्मिकता की स्थिति में तत्काल बुलाया जा सके तथा उनके क्लीनिक की विद्यालय से दूरी।
- किसी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न होने पर छात्रों को यथाशीघ्र नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।
- आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न होने पर यथा-सम्भव शीघ्र अभिभावकों को सूचित किया जाय, जिससे उनसे अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जा सके।
- जनपद में प्रत्येक विकास खण्ड में आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न होने से निपटने हेतु "मॉक ड्रिल" आयोजित की जाय, जिससे आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु कमियों का पता लगाकर उसके निराकरण का प्रयास अन्तर विभागीय समन्वय के साथ किया जाय।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा अध्यापकों/शिक्षामित्रों को आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु प्रशिक्षण कराया जाय।
- रसोइयों को भी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने हेतु प्रशिक्षण कराया जाय।
- विद्यालय की ग्राम सभा के अन्तर्गत मैपिंग अथवा चित्रण किया जाना यथा सम्भव विद्यालय की दीवार पर पेण्ट भी किया जाना चाहिये, जिसमें विद्यालय के नजदीक अस्पताल, थाना आदि की दूरी दी गयी हो।
- आकस्मिक स्थितियों यथा आग लग जाना, सिलेण्डर फटना जैसी घटनाओं से निपटने हेतु आवश्यक सामग्री यथा अग्निशमन यन्त्र, रेत, पानी आदि की व्यवस्था होनी चाहिये तथा आग लगने की स्थिति में यथाशीघ्र उक्त विद्यालय के प्रांगण के खुले स्थान पर पहुँचने की व्यवस्था की जानी चाहिये तथा आग बुझाने हेतु गांव के ही बड़े लोगों की मदद लेनी चाहिये। अग्निशमन अधिकारी/निकटतम थाने से तुरन्त सम्पर्क किया जाय।
- विद्यालय अवधि के दौरान जो भी व्यक्ति विद्यालय में आ रहे हों अथवा छात्रों से सम्पर्क कर रहे हों उन सभी की निगरानी अध्यापकों द्वारा की जाय। साथ ही उन समस्त असमाजिक तत्वों, जिनका सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्र में नाम प्रचलित हो, उनकी सूची तैयार की जाय एवं इन सभी के

विद्यालय में प्रवेश की निगरानी अध्यापकों द्वारा रखी जाय। किसी भी अपरिहार्य स्थिति की सम्भावना होने में तत्काल निकटम थाने से सम्पर्क किया जाय।

- यदि किसी दिवस में एक छात्र को भी अचानक तीव्र पेट दर्द, उल्टी, दस्त, चक्कर आदि की शिकायत हो, तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद से सभी बच्चों का चेक-अप कराया जाय एवं आवश्यकतानुसार समीप के स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाया जाय।
- वर्षा ऋतु के दौरान खाद्य सामग्रियों के सुरक्षित रख-रखाव यथा अनाज भण्डारण, पिसे हुये आटे तथा मसाले, नमक आदिकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। सीलबन्द कन्टेनर में रखे जायें। कन्टेनर का प्रयोग करते समय यह देख लिया जाये कि वह साफ-सुथरा हो। साथ ही खाद्यान्न का भण्डारण जहाँ पर हो रहा है, वहाँ यह ध्यान रखा जाये कि उसको फर्श पर न रखा जाये बल्कि पट्टी/स्लैब इत्यादि लगाकर कुछ ऊँचाई पर रखा जाय।
- जहाँ पर केन्द्रीय किचेन के माध्यम से खाना पहुंचाया जाता है तो वहाँ खाना सीलबन्द कन्टेनर में ही पहुंचाया जाये साथ ही विद्यालय तक पहुंचने के बीच में कन्टेनर को किसी भी दशा में बीच में न खोला जाय।
- छात्रों को भोजन हमेशा रखने के बाद लगभग 30 मिनट बाद ही दिया जाये साथ ही यह ध्यान रखा जाये कि यदि खाने में ऐसा कुछ लगता है कि वह सही नहीं है तो बच्चों को किसी भी दशा में खाना न दिया जाय।
- खाना हमेशा किचेन शेड में ही बनवाया जाये, किसी भी स्थिति में खुले में खाना न बनवाया जाये खुले में खाना बनवाने से खाना बनते समय कीड़े आदि के गिरने की सम्भावना बनी रहती है, जहां खाना किचेनशेड में जलाऊ लकड़ी के माध्यम से बनाया जाता है। वहाँ धुयें की निकासी का उचित प्रबन्ध किया जाय, आवश्यकता के अनुसार पाइप लगाकर धुये को बाहर निकाला जा सके।
- जिन स्कूलों में गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जा रहा है वहाँ पर गैस की पाइप का समय-समय पर लिकेज हेतु परीक्षण किया जाय।
- गैस का रेग्युलेटर आदि सावधानी पूर्वक बन्द करने हेतु भी रसोइया को बताया जाय।
- भोजन खुले में नहीं परोसा जाय बल्कि इस हेतु किसी कक्ष का प्रयोग किया जाय।
- हैण्डपम्प का पानी स्वच्छ नहीं दिखने पर अथवा उसे दुर्गन्ध आदि होने पर उसका उपयोग बन्द करते हुये तत्काल खण्ड विकास अधिकारी/जल निगम से सम्पर्क किया जाय।


भवदीय,


(एच०एल० गुप्ता)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:—

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ०प्र०।
3. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।


(एच०एल० गुप्ता)
सचिव